343

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1991.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया (विहार): उपसभापति महोदया, मैं प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) ग्रह्यादेश. 1991 के विरुद्ध ग्रपना परिनियन संकल्प प्रस्तृत करता है:

''यह सभा 15 जून, 1991 को राष्ट्-पति द्वाराः प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) ग्रह्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 6) का निरन्मोदन करनी है।"

महोदया, हमारे मुल्क में ग्राज तक एक तरफ मैंन्फक्चरसं एसोसिएशन, नेन्फक्चरसं फडरेशन, ट्रेंडर्स एसोसिएशन ग्रीर ट्रडर्स फोडरेशन के जरिए बहुत सारी उभर कर ग्रायी हैं परदूसरीतरफ उप-मौक्ताओं का कोई भी आर्गेनाइजेशन हमारी कंपरी में नहीं है। उपभोक्ता दिन-प्रतिदिन कालाबाजारी, भिलावट ग्रीर हर तर 👫 शोषण से तस्त होता जा रहा है। चीज से म् क्ति के लिए हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी ने एक पहल की थी और उस पहल के माध्यम से, इस उपभोक्ता संरक्षण ग्रध्यादेश के माध्यम से, देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बनाने की कल्पना की गई। 10 दिसम्बर, 1986 को जब इस राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ग्रायोग का गठन करने के लिए विधेयक पास किया गया तो उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसे-ऐसे फोरम बनाने की पष्टल की गई जिसमें उपभोक्ता ग्रा कर इनके खिलाफ ग्रगर कोई कम्पलेन्ट है तो वह फाइल कर सकता था ग्रौर उसी विचार और उसी स्तर पर करने का प्रावधान इस श्रायोग के उत्पर रखा गया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि इस अधिग को सारे ग्रधिकार देने के बावजद बहा मजबती से काम कर सके, उसको दात नहीं दिये गये जिन दांतों के माध्यम से

इन कालाबाजारियों जमाखोरों ग्रीर मिला-वट करने वालों को पकडा जा सके।

उपाध्यक्ष ((श्री शंकर ६याल सिह) पीठानस हुए] यह एक भ्रच्छी पहल थो ग्रौर उस वक्त, इस राव्हीय ग्रायोग विधयक को लाने के वक्त बड़े गर्व से **इमा**रे उस वक्त के संत्री श्री एच.के.**ए**ल भगत जी ने कहा था कि हमने विदेशों के, बड़ें-बड़े देशों के, कानुनों को पढ़कर इसका फैसला किया है कि हमारे देश में भी ऐसे ब्रायोग का गठन करना चाहिए जिससे उपभोक्ता को संरक्षण मिल परन्तु 10 दिसम्बर, 1986 को इस विधयेक के पास होने के बावजूद इमारे मुल्क में जो साढे चार सौ से ज्यादा जिले हैं उन जिलों में श्राज तक इसके फोरम नहीं बन सके और राज्य स्तर पर जो फोरम बनने थे वे भी पुरे-पुरे फोरम नहीं बन सके। कहीं ग्रगर बने हैं तो **उन**में जो मैम्बर होने चाहिए उन मैम्बरों की नियक्ति नहीं हुई और कई जगह यह हाल हैं कि ग्रगर नियुक्ति हुई तो सदस्य कहीं भर गया या त्याग पत्न देकर चला गया तो वह जगह खाली पड़ी हुई है। उस पर कहीं भी विचार नहीं किया गया।

यप्त बड़ाही ग्रच्छा मसला था कि इस देश के उपभोक्ता को इम संरक्षण देते हुए इस ब्रायोग के माध्यम से उन पर विचार करते क्योंकि उपभोक्ता के सिर पर बहुत सारी चीजें ब्राती हैं। इस ब्रायोग के माध्यम से हमने बहुत सी चीजों को बंचित रखा है। श्राप जाते है कि एक टेलीफोन का सब्सकाइबर भी उपभोक्ता है भौर इसलिए टेलीफोन विभाग सं जितना विचार मांगा जाय वह नहीं मिलता है। इसी प्रकार से एयर लाइन्स में चढ़ने वाला पसंजर भो उपभोक्ता है, लेकिन उसको हम कितना विचार देते है ? ट्रेन का पैसेंजर भी उपभोक्ता हैं लेकिन हम उसको कितना विचार देने है हमारी नजर में बस और टैक्सी में चलाने वाला भी उपभीक्ता है, क्या हम उस पर भी विचार करते है ? पिछले दिनों इस सदन में चर्चा हो रही थो कि मारूति गाड़ियों की कीयतें दिन प्रति दिन बढती जा रही हैं।

5.00 P.M.

उसके बावजूद जो सुरक्षा है, उसमें सुरक्षा की कमी हा रही है। उपभोक्ताक्री में यदि कमी ब्राती है तो **वह भी इस** ग्रायाग के श्रन्तर्गत ग्राना चाहिये ग्रौर उस पर विचार होना चाहिये। वर्ष 1987-88 की रिपोर्ट में ग्राटोमोटिव कम्पोर्नेट एसोसियेशन ने कहा कि करीब डेढ हजार करोड रुपये के कम्पोनेंट हमारे देश में बनाते हैं। उसमें स्पृरियस कम्पोनेंट बनते हैं जिसके कारण हमारे देश में प्रति वर्ष रोड एक्सीडेंटस में 10 हजार ग्रादमी मारे जाते हैं। यह 10 हजार ग्रादमी किसलिए मारे जाते हैं ? इसलिए नहीं कि वह गलत चल रहे थे, इसलिए नहीं कि जबरदस्ती ग्रा कर सामने खडे हो गये थे यह ग्रात्महत्या करने के लिए गये थे। यह इसलिए मारे जाते हैं कि जिस गाड़ी में वह चल रहे वे या जिस मोटर साइकिल पर चल रहे थे, उसमें जो स्पेग्न<sup>र</sup> पार्ट थे स्प रियम थे। इसके फेलग्रर के कारण, मैकेनिकल फेलग्रर के कारण एक्सीडेंद हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में सालाना 10 हजार लोग मारे जाते हैं। इस ग्रायोग के तहत इस पर विचार नहीं किया जाता है ग्रीर यह कह दिया जाता है कि इन्ध्योरेंस के बारे में सोचा जाएगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्राउके घर का ग्रगर टेलीफोन खराब है, ग्राज सुबह टेलीफोन पर बहुत प्रश्न हो रहे ये.तो टेलीफोन विभाग यह कहता है कि हमने तो श्रापको इंस्ट्रमेंट दे दिया है, लाइन ग्रलाइव है, ग्रगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं । ग्राप एग्रर-पोर्ट पर जाइये, रिपोर्टिग टाइम के अनसार आप पहुंच जाते हैं. लेकिन बोर्डिंग कोर्ड देने के बजाय यह अनाऊंसमेंट होता है कि टेक्निकल स्नेग है इसलिए फलाइट चार घंटे लेट हो जाएगी। क्मी-क्मी तो बोडिंग भी कराकर फ्लाइट केंसिल कर दी जाती है उसका डेमरेज कौन **देग**ि यहां पेसेंजर भी उपभोक्ता है । दूसरी चीजों पर यदि हम जाएंतो बहुत सी दूसरी चीजे याती हैं। हमारे यहां याई०एस०ग्राई० मार्क लगा हुग्रा है, उसके बावजूद लोग खाने

के बाद बीमार हो जाते हैं। हमारे देश में करीब 10 हजार नारोड रुपये की स्परियस दवाइयां इस कम्यनियों द्वारा बनाई जाती हैं उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि बिहार में पटना में स्प्रियस इन्स के जो कारखाने पकड़े गये उनमें देखा गया कि डेक्सटारोज इंटरावीनस इन्जेक्शन, बच्चों को पिलाया जाने वाला ग्राइप वाटर. सेरिडोन की गोलियां, क्लोरोएमफेनिकोल भीर क्लोरोक्वीन की गोलियां जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं, वह भी स्परियस थीं। उनको खाकरलोग सर गये। इन चीजों का ग्राखिर कहां विचार होगा उपभोक्ताग्रों के संरक्षण के लिए ग्रायोग बनाया गया कि वहां जा कर उपभोक्ता उपस्थित होगा किन्त इस उपभोक्ता राष्ट्रीय ग्रायोग के पास कोई ग्रपना विजिलेंस सेल नहीं है। इसका कोई विजिलेंस सेल मौके पर जा कर इन्क्वायरी नहीं करना कि कहां कहां कौन-कौन सी नयी कम्पनियां बनी श्रीर वहां व्याक्या चीजें बना रहीं हैं ग्रौर यह चीजें निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं या उसको जो ''एगमार्क'' मिलता है अनसार खरी उतरती है या नहीं उतरती। इन चीजों पर विचार किये बिना एक ऐसे राष्ट्रीय ग्रायोय का गठन किया गया है जिससे राष्ट्रीय अायोग का गठन जिस ग्रच्छे मकसद से किया गया था उसमे हम ग्राज संशोधन ला कर ग्रीर चीजें बढ़ा रहे हैं, हम को पीछे भी देखना पड़ेगा कि ग्राखिर इसमें 1986 से ले कर ग्राज तक क्या-क्या किया गया है। अभी बजट में घोषणा की गई कि कैरोसीन तेल को सस्ता कर दिया गया है ग्रीर नया रेट जो निकाला गया है वह 2-65 पैसे प्रति लीटर है। यह कल की ही घटना है कि कलकरता में ग्रभी भी यह 2-90 **पै**से प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहां जो ग्रापकी स्टेट कौंसिल है, उनके पास कोई विजिलेंस से लनहीं है। पब्लिक नेजा कर उन को शिकायत की । वहां सिस माला बेनर्जी है ज्वाइंट सेकेटरी ग्रॉफ बी कोरम ' ' उन्होंने इस बात को उठाया है। यह तो कैरोसिन तेल का उदाहरण है, मिस भाला बेनर्जी थीं तो यह बात ग्रखबार 347

[श्री सरें द्र जोत सिंह ग्रहल्वालिया] में ब्राईपर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं स्राती हैं। स्राप बाजार में जाइये, शैम्पू खरीदते हैं, शैम्पू में नाम तो लिखा हुमा है "एम ग्रीम्पू" पर मैन्फेक्चरर कौन है यह नहीं लिखा हुग्रा है। कल अपर आप वाल घोते हैं उस शैम्य से और बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं तो ब्राप किसके खिलाफ संरक्षण लेंगे ।

एक नाननीय सदस्य : ये तो टोपी लगाते हैं हम कहां जायेंगे, अगर गंजे हो जायें तो ।

भी सरेन्द्रजीत सिंह श्रहल्यालियाः क्या ग्राप बाल का तेल बैचते हैं।

उपसमाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वाल की खाल न निकार्ले । माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवद्यान)

श्री ईश क्ल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैंने कहा कि ग्राप चाहे जितना बोलें, सरकार का बाल बांका नहीं कर पायेंगे।

श्री सुरेग्द्रजीत सिंह ग्रहलवालिया : जहां भ्राप जैसे बांके जवान हों उसकी बांका कीन कर सकता है।

जब हम टी॰वी॰ देखते हैं ग्रगर एक कपड़े धोने का साबुन ग्रा जाए और उप-भोक्ता उस पर मन बना ले उसकी खुबसुरत फिल्म देखकर, फिर उसी के जस्ट बाद एक और खुबसुरत साबुन का प्रचार ग्रा जाए तो उपभोक्ता कल्ययज हो जाता है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब टी बो के माध्यम से रंगीन चित्रों को दिखाकर सीधे-साबे उपभोक्ता को अटेक्ट करने की या उनकी मजबर करने की कि वह चीज जरीदी जाए कोशिश की जाती है, उनको आकर्षित किया जाता है तो उन पर कीमत नहीं लिखी जाती है। कीमत के बगैर जब उपभोक्ता उसके ब्राक्षण से मोहित होकर दकान में पहुंचता है तो दुकानदार ग्रपनी मनमानी कीमत लगाता है क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि एक नया फैशन छाया हन्ना है कि हर डिब्बे पर या हर बोतल पर जो पहले से कीमत प्रिट होकर ग्राती

थी उसके ऊपर एक कम्प्यटर प्रिट का लेबिल लगाया होता है, वहां दिखता ही नहीं कि इत्क्यूल्डेड टैक्स है या एक्स ल्यूडेड 484 टॅक्स है। (व्यवद्यान)

उपसभाष्यक्ष महोदय, यह कम्प्यटर का जो प्रिट ग्राउट उस पर लगाकर बाहकों को विभ्रांत किया जाता है तो **कैसे इ**सके वारे में इस ब्रायोग के माध्यम से सोचा जाएगा। किसी ब्रायोग ने कोई सर्वेक्षण किया है ? कोई सर्वेक्षण करके कोई लिस्ट बनायी है कि हमारी कंट्री में क्या-त्या चीजें प्रोडयस होती हैं। अगर यह तेल है तो तेल के किउने भैन्फीक्चरर हैं ग्रौर डिजनी कितनीसड़िंग ः उनका पैक बनता है। जब खुद उनके पास इन्फारमेशन नहीं होगी . . . (व्यवधान) उपसमाध्यक्ष महोदय, अगर अधाग ह पास अपना इन्फारमेशन बैंक नहीं होता कि इस मल्क में क्या-क्या चीजें बनती हैं तो वे कल को किसी को चैलेंग नहीं उर सकते हैं श्रीर सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभी तक हमने अपने जिलों में ऐसे आयोग का गठन ही नहीं किया है, आयोग की शाखाओं का गठन हो नहीं किया है तो वहां जो सीधे-लाधे देहात के लोग जिला स्तर पर प्राक्त अपनी जम्पलेंटल जाहिर करेंगे, वे जाखिर कैसे विचार पार्येगे, कैसे उनके प्रति न्याय होगा जबकि उनको इस नामने में एजकेट तह नहीं किया गया है कि ब्राखिर उनके पश्चिकार क्यां हैं बखिर किसा तद उक्त वेजासकते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज जो थी वह बी कि एक एज्केशन तेल बनना चाहिये था जो लोगों को एज्केट ३७ पर्या प्रमी इस मुल्क की 85 करोड़ नन में से कितनों को इस उनमोका ए होत ब्रायोग का पता हैं। इसका मही तक नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार नहीं इसा है । इसका अचार, हो सकता है कि मंत्रालय की फाइलों में जरूर होगा, कि इसका प्रचार हमने इतने लीफलटन **छपवा दिये, इतने** सिनेमा हाल्स में इतने स्लाईड दिखा दिये, इतने कागा गाँट **दि**ये और इतने अखबारों में इश्विहार दिये । लेकिन जिस

(Amdt.) Ordinance, 1991 Discussion not Concld.

ग्र**नप**ढ़ लोगों की भी संख्या काफी है. उस मुल्क के लोग ग्राखिर इसको कैसे जानेंगे।

तो इस बायोग के अधिकार कितने हैं और इस ब्रायोग के साध्यम से उपभोक्ता को कितना अधिकार मिल सकता है, उसेका मैसेज गांव में पंचायत के माध्यम से जाना चाहिये और पंचायत के माध्यम से बताना चाहिये। आखिर ऐसा कोई एज्केशन सेल छापके यहां हैं, या नहीं है ?

दूसरा, ग्रापने कोई लीगल सेल बनाया है कि नहीं क्योंकि झापको तो स्टेटस दे दिया सुप्रीम कोर्ट के बराबर तक का, किन्तु आपने जो एक गरीब उपभोक्ता टाटा, बिरला, बजाज, मोदी या **किलोंस**कर के खिलाफ केस ले ग्रायेगा ग्रीर जब वह लड़ने के लिये वहां खड़े होंगे, तो उसके खिलाफ बड़े-बड़े बैरिस्टर ग्राकर खड़े होगे, उसको ग्राप क्या लीगल मदद देंगे या था दे रहे हैं, यह छपया बताइये। जब तक ग्राप यह नहीं बताते या यह लीगल मदद नहीं देते, तो ऐसी कंप्लेंट्स लेकर फायदा क्या है ? इससे क्या होगा कि एक गरीब उपभोक्ता कंप्लेंट्स फाईल करेगा और उसके बेस पर उसके अफसर जो हैं, वह मुद्रा का विमोचन करेंगे, उद्योगपतियों से विमोचन होगा कि ग्रापके नाम से कंप्लेंट पड़ी हैं, कैसे मैं इसको दबा द्। कुछ पैसे लाइये, में इसको दबा देता हूं । भीर इस तरह से व**ह** गरीब जैसे बाया था, वैसे ही वापिस जायेगा ।

उसके साथ-साथ कोई विजीलेंस सेल है या नहीं है, जो विजीलेंस सेल पता लगाये कि इस मालिक के उहां-कहां कारखाने हैं, उनकी फैक्टरीज कहां-कहां पर हैं, उनके सेल्स-आफिस कहां-क**हां** है, उनके कापीरिट याफिस कहां हैं ग्रीर वह इसकी पैकिंग कहां करते हैं?

बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि नाम तो लिखा रहता है बड़ी कम्पनी

का **ग्रीर छोटे** ग्र**क्षरों में लिखा** रहता है कि मै**न्फै**क्चर्डबाई सो **एं**ड सो ग्रौर पैक्ड बाई सो एंड सो। श्राप श्रगर खोजेंगे, तो श्रापको कहीं मिलेगा नहीं। मैं बहुत सारी दवाइयों की या शैम्पू की बोतलो पर या परफयूम की बोतलों पर देखता हं कलकत्ताका 2-कोलटला स्ट्रीट का नाम लिखा रहता है। पर साहब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में गढता था और कोलुटला स्ट्रीट पर ही हमारा होस्टल था ग्रीर मुझे पता है कि वहां कोई कारखाना नहीं है। हमारा होस्टल 4-कोल्टला स्टीट में था ग्रीर ग्राज तक वहां कोई फैक्टरी मैंने नहीं देखी, किन्तु उसके नाम पर बढ़िया, खुबसुरत पैकिंग में चीजें बिकती देखी हैं।

तो अगर कल को उसके खिलाफ कोई केस करता है, तो ब्राखिर वह जाकर खड़ा कहां होगा ? तो श्रापके पास में मंत्रालय ने इस बायोग को कोई विजीलेंस सेल दिया है या नहीं ? ग्रगर नहीं दिया है, तो ग्राप कैसे पता लगायेंगे कि वह कैसे उपभोक्ता को चीट कर रहा है ? (समय की घंटी)

क्या हो गया, है सर ?

उपसभाष्यक (श्री शंकर दयाल सिंह) : जल्द खत्म करें।

थी स्रेन्द्रजीत सिंह अहलवालिया : कोई गलती हो गई, है, सर?

उपसभाष्यक (श्री शंकर दयाल सिंह) : नहीं, नहीं गलती नहीं । ब्रापने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला। यब मैं चाहता हं कि आप समाप्ति की सीत चलें।

श्री सुरेन्द्र जीव सिंह ग्रहलुवालिया : राष्ट्रीय आयोग को तो सुप्रीम कार्ट को बरावरी का श्रोहदा दिया है. 🖙 जल को अगर वह कोई फैसला सुनाते हैं। तो उसको इम्पलिमेंट करने के लिये इनके पास मशीनरी क्या है ?

(Amdt.) Ordinance, 1991 Discussion not Concld.

#### [श्री सुरे द्वजीत सिंह ग्रहलुवालिया]

उसके बाद वह क्या करता है, प्रगर वह कम्पेनसेशन डिमांड करता है, तो उसको कम्पेनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है ? जैसे साहब, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक वाशिंग मशीन बेची ए० 3200 की और जब वह लेकर वहां पहुंचा उपभोक्ता, कस्टमर पहुंचा, उसने कंप्लेंट की, तो उस पर विचार ही नहीं हुआ।

उसी तरह से तमिलनाडु में इक्कीस दिन तक टेलीफोन डिपार्टमेंट का टेलीफोन काम नहीं किया। उपभोकता वहां पहुंचे, पर कोई विचार ही नहीं हुया।

उसी तरह से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट फोरम के मंडर माज की डेट में करीब 2500 केसज पैडिंग पड़े हुये हैं। म्राबिए इसके कुछ नियम भी बने, निर्धारित किये जायें; कि कंप्लेंट देने के इसने दिन के अन्दर इसका फैसला कर दिया जायेगा और अगर नहीं किया जाता है तो में समझता हूं कि यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष म्रायोग के माध्यम से हम उपमोक्तामों को तो संरक्षण नहीं दे रहें। या उपभोक्तामों के प्रति मन्याय तो नहीं कर रहे, पर हम उद्योग पितयों के प्रति जकर न्याय करने के लिये जा रह है।

भी राम अवधेश सिंह (बिहार): न्याय.. (व्यवधान) उनको संरक्षण हें... (व्यवधान)

श्री हुरेन्द्रजीत सिंह ब्रह्तुवालिया । उन्हीं को न्याय दिला रहें है और एसे संरक्षण से बचाने के लिये ही ऐसा एक प्रध्यादेश लाया गया था, एक विध्यक लाया गया था, जो श्राज तक फलीशूत नहीं हुआ । जिस वक्त यह विध्यक लाया गया था उस वक्त इसकी प्रशंसा और इसकी उपमा की गई थी यू०के० के, न्यूजीलैंड के और श्रायरलैंड के कहा-कहां के कंज्यूमर करेंगिंसल के साथ में और लोगों ने सोवा था . (व्यवसान)

श्री राम अवधेश सिंहः क्यों नहीं पास हुन्ना?

भी सुरेन्द्रजीत सिंह म्रहसुवालियाः पास हो तो गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुन्ना।

उपसमाध्यक्ष (श्री शंकार क्याल सिंह) : देखिये, ग्रव ग्राप दो मिनट में खत्म कीजिये।

श्री राम श्रवधेश सिंह : इम्प्लीमेंट नहीं होने में कांग्रेस का दोष है, कांग्रस सरकार का दोष है ?

उपसमाध्यस (श्री शंकर वयाल सिंह)। राम अवधेश जी, बीच में बोलना छोड़ दीजिये और इनको अपनी बात पुरी कर लेने दीजिये।

श्री पुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, वाकई अगर उपभोक्ता न्याय दिलाना है तो सही हमें मायने में इसे अयोग को पूरी ताकतः की जरूरत यीग्रीरदेखनाया एक टाइम बाउंड प्रोंग्राम बना कर कि इतने टाइम के अन्दर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर ग्रौर जिला स्तर ५र इसका पूरा गठन हो जाये। मैं कहता हं कि जैशा कि राजीव गांछी जी का सदनीया कि ग्राम पंचायत ग्रीर जिला १रिषद को ग्रीर ज्यादा एक्टोक्ट किया जाये, तो ये सारे फोरम न्नगर उनके माध्यम से चलाये जातें तो शायद और अच्छा होता और यह समझ में श्राता, क्योंकि ये उपभोक्ता उन्हीं के अन्तर्गत हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं। हम उन्हें उसकी शिक्षा भी दे सकते थें, उन पर विजिलेंस भी रख सकते ये ग्रौर हर चीज को हम कार्यान्वित भी कर सकते ये, जो हम ग्राज नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ उद्योग-पितयो की एक मजबत लाबी है ग्रीर दूशरी तरफ उपभोक्ता बंटा हुआ है। उपभोक्ता कैसे बंटा हुन्ना है. शाउथ में कोई शरियल का तेल खाता है, पूर में

तेल खाते हैं ग्रीर गुजरात की तरफ चले जाइये तो मंगफली का हैं। यह उपभोक्ता जो बंटा ीती शरे हिस्से सें, यह इसरे. संगठित करने के लियं वडा मदर्मेंट या ग्रीर इस मर्गक माध्यम ने हम शबको एक दिला सकते थे। श्रपने लेकर न्याय दिलासकतेथे की काला-बाजारी देश की मिलावट बन्द कराने के लिये एक सही एक सही उपाय आया. पर था, इसका श्रभी तक सद्पयोग नहीं हम्राहै. दुरूपयोग हुन्ना है । मैं दुरुपयोग से भी श्रोगे कडता हं कि श्राज तक इसने क्र काम नहीं किया है। जितना पैसा ग्रांज तक मंत्रालय ने खर्च किया हैं वह व्यर्थ किया है । व्यर्थ इसलिये क्यों कि तो शिक्षा हुई, न ग्रापके विजिलेंस 🚊 सूचनाएकज्ञितकी,न माध्यम गठन किया । इसीलिये में फोरम का इसका बिरोध करताहं। इसके पहने यता नहीं श्रचानक चन्द्र शेखर जीकी सरकार के क्या दिमाग में आया कि इश अध्यादेश को अर्डिनेंश के माध्यम से ला कर इसमें संशोधन लाये। पता नहीं किस चीज की हडबडी की ऋौर वह तक क्लीयर नहीं हई। हडबडी अभी यह भरकार भी उस हड़बड़ी के पीछै कितनी अंगदार है. मेरे को जरा संदेह है। इसी क्षिये में इसका विरोध कर रहा हं। भ्रन्यवाट।

Statutory Resolution Seeking disapproval

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The Minister will move the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION SHRI KAMA-LUDDIN AHMED): Sir. I more:

That the Bill to amend the Container Protection Act, 1986, be taken into consideration."

तर. में ब्राभारी हं बहल्वाल्या जी का कि उन्होंने भदर को बहत-सी बातें बतायीं । जितनी वातें उन्होंने बतायी हैं. Ž) इस एक्ट में बहुत-सी बातों को कवर करने की कोणिश की गर्यी है जैशा कि उन्होंने कहा है। ...

उपसमाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य श्रहलवालिया जीसे मैं ग्र**न्रोध** करताहं कि ग्रापकी बातें मंत्री महोदय ने सुनीं । अब वे उन पर बोल रहे हैं, श्राप उनके बात श्रुनिये, बजाय न्नाप दिनेश जी ने बात करें।

श्री कमाल्दीन श्रहमदः सर, सन '86 में राजीव जो की दिलचश्यी से कंजमर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिये यह कान्त लाया गया था। उसमें इस बात की कोशिश की गर्यथिक इस एक्ट कंजमर्स को जो राइटस दिये जनको वे भमझ पायों, उसकी जानकारी उनको मिले ग्रौर फिर उसका इस्तेमाल भी करें। मैं श्री ब्रहल्वालिया जी की एक बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि ये जितने फोरम्स डिस्ट्क्ट लेवल या स्टेट लेवल पर बनेहये कमीशन या राष्ट्र के लेवल पर वने हुये कमी शन हैं, काम नहीं किया है। कोई उनको शायद यह जानकर खुशी होगी कि बहुत-सी स्टेटस में जो स्टेट के कमी शन बने हैं, डिस्टिक्टस के कमी शन बने हैं, उनको यहां हजारों की तदाद में कंपलेंटस ग्रायी हैं। उनकी उन्होंने तहकीकात की है, जांच की है, बहतो में उन्होंने ग्रपने फैसले भी दिये हैं।

श्री स्रेन्द्रजीत जिह यहल्वालिया : मंत्री जी, बताने की कृषा करगे कि कितने बने हैं ?

श्री कमालबीन ग्रहमदः सर, ग्रांधप्रदेश 23 डिस्टिक्ट्स में 23 फोरम्स हैं, 11 डिस्टिक्टम में प्रदेश में बने हैं ग्रामाम में भी फोरम्स डिस्ट्रिक्ट्स में 23 फोरम्भ बने हैं.

## [श्रीकमाल्दीन ग्रहमद]

Statutory Resolution Seeking disapproval

बिहार में 39 तथा गुजरात में 20 हैं। सर, 5 जगहीं पर यह बात सही है कि डिस्ट्वट्स की तादाद ज्यादा हैं, लेकिन इतने फोरम्स नहीं हैं। मिसल के तौर **पर गोवा में 2 में से एक डिस्ट्रिक्ट** में फोरम बना है। हरियाणा में 13 के मिनजुमला 2 बने हैं, हिमाचल प्रदेश 12 के मिनजमला एक बना है, कर्नाटक में 19 के भिनज्ञाला 4 बने राजस्थान में 27 जिलों में से 23 में फोरम्स बने हैं, उत्तर प्रदेश में 63 हिस्टिक्ट्स में से 63 में फोरम्स बने हैं मध्ये प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स में से 9 में फोरम्स बने हैं।

क्षी सुरेश पचौरी : भान्यवर, मेरे पास यह राज्य सासन की कटिंग है, उसमें डिक्लेग्नर किया है कि 41 फोरम्स बने हैं।

श्रीकमालुदीन ग्रहमदः मेरे पास जो जानकारी है, उसके ग्राघार पर बता रहा हूं । उड़ीसा में 13 बिस्ट्रिक्ट्स हैं धौर 13 में फोरम्स बने हैं, जम्मू-क्तक्रमीर का अलग एक्ट है। मैं एक बात धीर ग्रजं करूं...

उपसभाध्यक्ष (भी शंकर क्ष्याल सिंह) : में माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जैसे किसी सदस्य की "मेडन" स्पीच होती है तो हम लोग उसको एनकरेज करते हैं, वैसे ही इस सदन में माननीय मंत्री महोदय का यह "मेडन" बिल है। इसलिये बजाय टोका-टाकी के, पहले इनकी बार्ते सुन लें।

भी कमालुद्दीन भ्रहमद ः जो इंकीरमेशन चाहते हैं और जो मेरे पास है, मैं दे रहा हूं।

श्री शक्वीर ग्रहमद सलारिया (जम्म् 📆 र कश्मीर) : जनाबेग्राली, गुजारिश यह **है कि तकरीर तो वह फरमां रहे** लेकिन बिल पर इनको मृक्ष करना था, **ए**सके बाद इस लोगों को बहस करनी

थी । यह सब बातें इकटठी कर दी गई हैं । लिहाजा, यह तरीकाकार गलत है। हम लोगों को तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

उपसमाध्यक (भी शंकर दयाल सिंह) : चिलिये, ग्राप शुरू कीजिये। ग्राप मृव कीजिये।...व्यवधान 🕝 🕮 🗝 🗝

भी शब्बीर ग्रहमद सलारिया: ग्रभी इनको मूव करनाथा। जवाब यह बाद में दे वें।

श्री अनन्तराय देवशंकर इसे (गुजरात): पहले यह मूब करें, फिर बोलने की इजाजत दी जाय किसी को।

उपसमाध्यक्ष (ओ शंकर क्याल सिंह) : हां, मैं इसीलिये कह रहा हूं कि ग्राप पहले बोल ले, भूव कर दे।

श्री कमस्त्रवीन प्रमुख : रेजोल्यन की इद तक तो जवाब देदें। बहुत सी चीजें हमारे श्रहल्वालिया जी ने कही हैं, उसके ताल्लुक से मैं सिर्फ एक बात कहं कि कमीशन जितनी हैं, चाहे राष्ट्रीय कमीशन हो, या स्टेट कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, यह ग्रपनी तौर पर कोई तहकीक नहीं करते हैं, बल्कि एक्ट में सिफं यही पावर दी गई है कि उनके पास कोई शिकायत ग्राये, कोई कंपलेंट ग्राये तो फिर उसकी तहकीक करते है। ऐसी हजारों कंपलेंट ग्राई हैं भौर उनकी तहकीक जारी है।

दूसरी बात, ग्रहलुवालिया जीते कही कि यह बहुत लम्बे चलते हैं ग्रोर जल्द ही इसका कोई तसफीमा नहीं होता है। मैं यह अर्ज करूं कि कल्स में जहां किसी केमिकल एग्जामिवशन या और किसी किसम के एक्सपेरिमेंड की जरूरत न हो तो ऐसी कंपलेंट की तीन महीने के ग्रन्दर तय करना है बौर ग्रगर कहीं केमिकल एग्जामिवशन रिपोर्ट वर्षेरह या ऐसी किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिये पांच महीने की मृहत मुकर्र की गई है।

में है।

एक बात ग्रीर, जो माननीय सदस्य ने कही कि इसकी कोई टीथ नहीं है ग्रीर यह कोई ऐसी रिलीफ नहीं दे सकते हैं जो इंफोर्स की जासके। मैं ग्रर्जकरूं कि इनको सारे ग्रख्तियार हासिल हैं ग्रीर इसकी नेचर ग्राफ इंक्वायरी जो है, कंपनसेटरी है ग्रीर कंपनसेटरी नेचर जो हैं, उसके तहत जो कंपासेशन दिलाते हैं, वहकानुन के तहत एक डिक्री तसब्बुर की जाती है और डिकी का इंफोरसेमेंट जिस तरीके से होते है वैसे उसका

इंफोरसमेंट होताहै। अगर वहां पर किसी

फरीक ने डिसम्रोबे किया तो उसमें

इम्प्रिजनमेंट का भी ग्रिखितयार इस कान्न

Statutory Resolution

Seeking disapproval

उपसभाष्यक (श्री शंकर दयाल सिह) : एक सेकेंड, कमाल्दोन साहब। ऐसा है, ग्राप इन सारी बातों को ग्रंत में जवाब के रूप में कहें। अभी तो आप मोशन मृवकर दीजिये।

The questions were proposed

VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The Statutory Resolution and the Motion are open for discussion.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, हमारे कमाल के मंत्री जनाब कमालदीन साहब ने जो उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक . . . (व्यवधान)

ग्रागे ग्रागे देखिये होता है क्या ?.. ग्रागे की लाइन ग्राप बोल दोजिये।

एक माननीय सदस्य : इब्तदाए इक्क है, रोता है क्या ?

श्री सरेश पचौरी: मान्यवर, जो उपभोकता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991 प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं बोलने केलिये खड़ा हुआ हूं। "उपभोक्ता" एवद से जो अभिप्राय निकलता है वह यह रहता है कि व्यक्ति या व्यक्ति के लगह, जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेते हैं, उसे हम उपभोक∄ कहते हैं। जिस प्रकार राजनीति शास्त्र में अतदाता की उपयोगिता हुआ करती है, वैसे ही अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की उपयोगिता हुआ करती है। ग्रीर उपभोकता ही सामाजिक ग्रर्थव्यवस्था का का मृलाधार है।

मान्यवर, यद्यपि पिछली सरकारों द्वारा कई कानन पास किये गये जो उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में किये गये प्रयास थे। ऐसे लगभग 50 कानन रहे जिनका संबंध उपभोक्ता के हितों से बताया जा सकता है - जैसे श्रनिष्टकर मादक द्रव्य श्रिधिनियम, 1930 रहा, भारतीय मानक संस्था ग्रधिनियम 1952 रहा, खांच **ग्रपमिश्र**ण निवारक श्रधिनियम रहा, उपभोक्ता संरक्षण श्रधिनियम 1986 के बाद श्राया है। ऐसे करीब 50 कानून हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का है केवल कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है। हम ग्रपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कानुन पास करके कर दें, उससे काम नहीं होने वाला है बल्कि श्रमल बात यह है कि जिस मकसद को सामने रखकर, जिन उद्देश्यों श्रीर इरादों की पूर्ति को सामने रखकर हम यह कानन बनाते हैं, वह हितसाधन हो पा रहा है या नहीं, यह देखने की कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिये। इसलिये महोदय, जो कंज्यमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 रहा, जो पास किया लोक सभा ने 9 दिसम्बर, 1986 को ग्रौर राज्य सभा ने 10 दिसम्बर, 1986 को, तो जिस मकसद और उद्देश्यों को लेकर पास किया गया, वह मकसद ग्रौर उद्देश्य पूरे हो पाये या नहीं, इस बात का आकलन करना बहुत ज्यादा भ्रावश्यक है। महोदय, भारत के उपभोक्ताओं को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने, क्षतिपूर्ति दिलाने और उप-भोक्तायों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1986 में वह कानन बनाया गया थां। इस कानुन के मुताबिक उपभोक्ताओं की शिकायतों, को शीघ्र, सरल तरोके से ग्रौर कम खर्च में हल करने की व्यवस्थां की गई थी और इसके लिये

#### Amdt.) Ordinance, 1991-Discussion not **Concld.**

# [श्री सुरेश पचौरी]

तीन स्तरीय ग्रधं न्यायिक तंत्र बनाने की बात कही गई थी - धी टायर ज्युडिश्यरी सिस्टम । इस प्रकार उपभोक्ताओं का इस कातन में उल्लेख करके उनको बढांवा देने ग्रौर उनकी रक्षां करने के लिये केन्द्र ग्रीर राज्य में उपभोक्ता परिषदें गठित करने का प्रावधान किया गया यां। लेकिन कानुन बने स्राज इतना समय हो गया, उस कानून का लाभ उपभोक्ता को कितना मिला उस कानन के जरिये उपभोक्ता कितना लाभा-न्त्रित हुआ, इस बात का आकलन करने की ग्रावस्थकता है ग्रीर जब हम उस एक्ट के पास होनेकेबाद बिल की शक्ल में इस पर चर्चा कर रहे हैं तो निक्चित रूप से हमको इस बारे में विचार करना चाहिये।

मान्यवर, कई स्थान, कई जिले, कई राज्य ब्राज भी ऐसे हैं कि जहां सारी परिषदों का गठन नहीं हो पाया है, जैसे कि मंत्री जी ने ग्रभी ग्रपने बयान में बताया कि कई राज्य, कई जिले जहां कि गठन होना चाहिये था, वह गठन राज्य सरकारों की तरफ से नहीं हो पाया । उसमें कई प्रकार की बाधायें हैं। इसलिये जब हम उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिये वह बनाया गया था तो राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वह श्रावस्थक रूप से जिला स्तर पर इन डिस्टिक्ट फोरम का गठन करें। जिन राज्यों में यह गठन नहीं हो पाया, जैसे एक राज्य है - पंजाब, वहां स्टेट लेवल पर भी इसका गठन नहीं हो पाया है **श्रौ**र इसलिये उसका **गठ**न किया जाना **ब**हुत ज्यादा जरू**र**ी है। मान्यवर, एक संस्था है जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है, उसके ग्रध्यक्ष श्री इराड़ी हैं। उन्होंने यह कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानन, 1986 में जब तक ग्रौर कुछ संशोधन नहीं होंगे तब तक वह कारगर साबित नहीं हो सकता है ग्रीर इसके ग्रम्तर्गत म्यायिक अधिकारियों को कोई अधिकार जितने भिलने चाहिये वह सब नहीं दिये

गये हैं जिससे कि वह नकली और घटिया वस्तुओं का उत्पादन करने वालों और बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, यह श्री इराडी का भी वस्त्रव्य रहा है। श्राज आवण्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता संरक्षण उपायों का सही ढंग से प्रचार किया जाए, जो डिजाईन और ट्रेड मार्क बनाये जाते हैं वह इतने जटिल होने चाहिएं कि उनकी नकल कोई और न कर पाये। जो पैंकिंग होती है वह इतनी सख्त होनी चाहिये कि वह जब खुले तो इसके अन्दर जो पदार्थ है उसमें किसी भी ढंग से मिलावट न हो पाये, इस बारे में हम लोग विचार करें।

मान्यवर, मेरा इस संबंध में ऐसा सोचना है कि जब हम इस बिल के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें कुछ उन बिन्दुग्रों पर विचार करना चाहिये जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने ग्रभी किया है ग्रीर जिनका उल्लेख नेशनल कंज्यमर्स प्रोटेक्शन एक्ट-1986 में भी किया गया है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि डिस्ट्क्ट लेवल पर फोरम होना चाहिये । लेकिन मेरा यह मानना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो जो फोरम होना चाहिये वह फोरम मोबाइल होना चाहिये, चलता-फिरता रहना चाहिये । ग्रगर केवल डिस्टिक्ट नेवल पर रहेंगे तो वह सारे उपभोक्ताश्रों की कठिनाइयों ग्रौर परेशानियों को सही ढंग से ग्रांक नहीं सकती ग्रीर जब उनकी परेशानियों ग्रौर दिक्कतों को वह सही ढंग से नहीं समझ पाएंगी तो उनकी समस्याग्रों के श्रनरूप हिसिजंस नहीं हो सकते । दूसरे, इसको ग्रौर व्यापक रूप देने के लिये इसको तालुक नेविल पर परिषदों का गठन करना वाहिये , ऐसा मेरा सोचना है ।

साथ ही जो फैसले डिस्ट्रिक्ट फोर्म्स करते हैं, जो स्टेट फोर्म्स करती हैं, जो नेशनल लेबिल की फोरम करती हैं उन फैसलों के खिलाफ कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट में चेलेंज हो जाता है। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का

इंटरफिग्रहेंस इन फोर्म्स के डिसीजंस के खिलाफ नहीं होना चाहिये ऐसा मेरा श्रापके माध्यम से मंत्री जी को सुझांव है। वह ऐसी व्यवस्थां ग्रंपने इस बिल में करें ताकि हाई कोर्ट का ग्रौर सुप्रीम कोर्ट का ग्रौर डिस्ट्क्ट कोर्ट का इसमें इंटरफिग्ररेंस नहीं होने पाये। इसमें ऐसी व्यवस्थां है कि, मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो चेयरमेन होगा, प्रेजीडेंट जो होगा वह एक रिटायर्ड जज होगा, ठीक है वह इसको जुडीशियरो शकल देने के लिये वहां जो निर्णंय लिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दो और मेंबर रहेंगे बह स्टेट गर्वनमेंट के द्वारा नोमिनेडिट रहेंगे, जबिक ऐसी व्यवस्थां की गयी है कि उसमें वह मेंबर्स नोमिनेट किये जायेंगे जो कैपेबिल हैं जो कंज्यमर्स मुवमेंट से संबंधित हैं ग्रौर जो भली-भाति उप-भोक्तात्रों की तकलीफों को समझ सकते हैं तथा और भी ग्रच्छांहीयदि वह किसी ऐसे कंज्यमर्स आर्गनाइलेशंस से जुड़े हों जो कि उपभोक्ताग्रों के हितों र्मे काम कर रहेहैं।लेकिन जब ग्र**न्य** सदस्यों का नामकरण होता है तो यह देखा जाता है कि वह राजनीति से प्रेरित होकर किया जाता है। उससे उसे दूर करने के लिये ग्रौर इस बिल को लाने में जो मकसद सामने रखा गया है वह तब पूरा हो पायेगा जब राजनीति से ऋभिभृत होकर, राजनीति से प्रेरित होकर हम अन्य दो सदस्यों का नामकरण नहीं करेंगे, बल्कि उन सदस्यों का नाम-करण क**रों**गे जो कि कंज्युमर्स मुवमेंट से या उन ग्रार्गनाइजेशंस से संबंधित हैं जो कि कंज्युमर्स मुबमेंट केलिये काम कर रहे हैं । महोदय, दो श्रन्य सदस्य जो होते हैं वह अपने श्रापको बहुत इन-फीरियर महसूस करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के चेयरमेन के आगे। उसकी वजह यह है कि उसको उन कानुनों की सही जानकारी नहीं रहती, इसलिये ऐसी व्यवस्था भी किया जाना ग्रावश्यक है. कुछ ऐसे लोगल एडवाईजर्स उन लोगों को जो ग्रन्य दो मेंबर हैं, दिया जाना जरूरी है ताकि वह सही ढंग से अपना पक्ष भी प्रस्तृत कर सकें, वह इनफीरि-

Statutory Resolution

Seeking disapproval

यरिटी काम्प्लेक्स न आ पाये और जब वह ऐसा पक्ष प्रस्तुत कर सर्कोगेती निश्चित रूप से जो दो ग्रन्य सदस्य हैं, उनकी बात का भी वजन रहेगा। इस लिये मंत्री जी, इस बात का ध्यान देंगे, ऐसा मेरा ग्रापके माध्यम से निवदन है। इसलिए मंत्री जी इस पर ध्यान दें, ऐसा मेरा श्रापके माध्यम से निवेदन है। दूसरी बात यह है कि ऐसी व्यवस्था की गई कि जिस कंज्यमरकी शिकायत जहांकी है, वह उसी डिस्टिक्ट में उसकी शिकायत करे । सहोदय, मैं चाहंगा कि इसमें ऐसा संशोधन किया जाए कि कंज्यूमर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने अपनी शिकायत कर सकता है ग्रौर वहां का डिस्ट्क्ट फोरम भी उस संबंध में श्रपना निर्णय देसकता है। साथ ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके संबंध में मैं चाहता हूं कि उनकी परिभाषा में कुछ संशोधन किया जाए । जैसे 'सर्विस' शब्द है । इसमें वायरमैन, इलैक्टिशियन प्लंबर, लौयर, डॉक्टर ग्रादि को शामिल किया जाना जरूरी है।

महोदय, मैंने पहले जिक्र किया है कि यह कंज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट हमारे सदन ने दिसम्बर, 1986 में पास किया था । उसके बाद से इसके मुताबिक जितना काम होना चाहिए थां, जो परिणाम निकलना चाहिए था, वह नहीं निकला । उसकी वजह यह थी कि जो डिस्ट्क्ट फोरम बनाए गए, जो स्टेट लेवल के फोरम बनाए गए, नेशनल लेवल के फोरम बनाए गए उनमें ठीक तरह से काबिल लोगों का नामांकन नहीं हुआ । महोदय, कंज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 1986 का जो सेक्शन 10 है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो एबल लोग हैं, जो नोलेजेबल लोग हैं, जो इंटेंलिजेंट लोग हैं, जो उस कंज्यमर मुवमेंट को समझ सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों का नामांकन इन परिषदों में किया जाएगा । पर ऐसा नहीं हो पाया । जितने भी जिलों में येपरिषर्दे बनी प्राय: उनमें यह देखने को मिला कि उनमें ऐसे लोगों का नामांकन किया गया जिनका कंज्यमर मवमेंट से कोई संबंध नहीं था ।

## [श्री सुरेश पचौरी]

महोदय, इस ऐक्ट के सेक्शन 12 ग्रीर 16 में भी यह उल्लेख है कि इन परिषदों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें केपेबिलिटी है लेकिन इसका पालन नहीं हुग्रा । मान्यवर, जब यह ऐक्ट ड्राफ्ट किया जारहाथा, उस समय वह उल्लेख किया गया था कि कई देशों में जैसे अमरीका में, श्रास्ट्रेलिया में, यनाइटेड किंगडम में इस प्रकार से परि-षदों में नामांकन की व्यवस्थां है लेकिन महोदय, वहां यह व्यवस्थां भी है कि ऐसे नामांकनों पर असेंबली और पार्लिया-मेंट की भी स्वीकृति ली जाती है। इस-लिए मैं चाहंगा कि बिल्कुल वैसी ही ध्यवस्था यहां भी की जाए ताकि इसका विश्रद्ध राजनीतिकरण न हो जाए बल्कि जिस नजरिए से इन परिषदों का गठन किया गया था, उसी नजरिए से इनमें नामांकन किया जाए।

महोदय, श्राज हन परिषदों के लिए होने वाले नामांकनों में बहुत ज्यादा जडिशियलाइजेशन हो रहा है। इसको रोंकने के लिए जरूरी है कि हम इस कंज्यु-मर मुवमेंट से संबंधित एक्सपर्टंस को इसमें शामिल करें। जिस समय यह कंज्यमर प्रोटेक्शन ऐक्ट पास हो रहा थां, उस समय भी मैंने इस पर हुई चर्चा में कहा था कि यह जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया गया है और इसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। ग्राज जब हम इस कंज्यमर प्रोटेक्शन बिल 1991 के संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं इस बारे में ग्रपने कुछ सुझांव देना चाहता हूं । मान्यवर, श्राज यह केवल कंज्यमर मुवमेंट बनकर नहीं रह गया है बल्कि ब्यूरोकेटिक मुवमेंट हो गया क्योंकि इस ऐक्ट का ड्राफ्ट ब्यरोक्रेट्स ने तैयार किया ग्रौर उन्होंने उपभोक्ताम्रों की उन परेशानियों को बिल्कल नजरग्रंदाज कर दिया जो सामान्य उपभोक्ता प्रतिदिन महसूस करता है । उपभोक्ता को ग्रपनी जरूरत की **रो**जम**र्रा** की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जब मिलती हैं तो मिलावट वाली चीजें

मिलती हैं। जब मिलावट वाली चीजें मिलती हैं तो भी वे बढ़े हुए दामों पर मिलती हैं, उचित दामों पर नहीं मिलती हैं। इन सारी परेशानियों का ग्रनभव ग्रौर ज्ञान ब्युरोक्टेय को नहीं होता है, जो बिल को ड्रांपट कर देते हैं। इसलिए उस समय भी इसमें संगोधन जरूरी था ग्रीर ग्राज भी जब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं, इसमें संशोधन जरूरी है।

Discussion not Concld.

मान्यवर, इस ऐक्ट के सेक्शन 2(1) (घ) में इस बात का उल्लेख है कि-

" 'Consumer' does not include a person who obtains goods for resale or for commercial purposes."

महोदय, अब यदि कोई महिला मणीन खरीदे या कोई वाहन लिया जाए जिसका उपयोग वह टैक्सी की जगह पर कारे तो निश्चित रूप से वह उपभोक्ता उस "कंज्यूमर कैटेगरी" में आएगा लेकिन यह जो ऐक्ट बनाया गया है इसकी परिभाषा के अनुसार वह "कंज्यमर कैटेगरी" में नहीं ग्राता ।

इसी प्रकार से सेक्शन 2(1)(डी) में कहा गया है "ऐनी कामिशयल परपज" उसको डिलीट किया जाए ग्रौर उसके स्थांन पर "ऐनी सर्विस" रखा जाए. यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है।

श्रीमन्, जो नेशनल कमीशन बनाया है जिसमें 10 लाख तक के क्लेम्स ग्रा जाते हैं इसकी भी ग्रपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है । मेरा ग्रापके साध्यस से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी **अपर लिमिट फिक्स की जाए**।

इसी प्रकार इसके चैप्टर 2 में सेक्शन 12 और 14 में पार्ट वी में 30 और 30ई में जो प्रांविजन है उसमें यह है-MRT relating to unfair trade practices may be incorporated into the Consumer Protection

उसके पीछे वजह यह है कि जो कंज्यमर

डिस्प्यूटन हैं उसकी जो ऐजेन्सीज हैं वे एम. ब्रार.टी.पी. के प्राविज स एवं पावर्स का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकती हैं। मकसद यह है कि एम∵श्रार∘टी पी₀ का श्राफिस दिल्ली में है ग्रीर दिल्ली में ग्राफिस होने के सध्य-साथ जो कंज्यमर हैं वह सही ढंग ने ऐप्रोच नहीं कर पाते है। इसलिए इसमें भी कुछ संशोधन होना कररी है । जो एक्ट इन बार्ली को महेनजर रखते हुए बनाया गया या वह मकसद पूरा नहीं होगा तो इस कानुन को लाने की क्या जरुरत है ? उसके लिए माननीय मंद्री जी को मैंने एक नोट टिया है निश्चित रूप से उसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी उन बातों का अपने उत्तर में समावेश करेंगे। उसमें मैंने 5---6 ऐक्टका हवाला दिण है जैसे--

Statutory Resolution

Seeking disapproval

the Products Liability Act: the Unfair Terms of Contract Act: the Consumer **Products Safety Commission Act; the** Power of Attorneys Act; the Consumer Association Indemnity Act

इन सारों का मैंने उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी उस नोट को देखने के बाद ग्रयना उत्तर देंगे उसका उल्लेख करोंगे । इसलिए मैंने श्वपता स्टे÷युटरी रेजलेशन भी दिया **या** क्योंकि मेरी माज्यता थी कि यह ऐक्ट 1986 में जब हमने बड़ी श्राशाशो और अपेक्षाको के साथ पास किया या तो वह ब्राक्षएं ब्रोर अपेक्षाएं शक्षरणः रूप से पुरो नहीं हो पाई । इसलिए उसमें कुरु संशोधन किया काना जरूरी था। इसिलिए माननीय मंत्री जी धपने उत्तर मैं उनको निराकरण करेंगे जिनको तरफ मैंने इकारा किया है तो निश्चित रूप से वह राजीव जी की परिकल्पना को सराकार करेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए राजीव जी ने विशेष रूप से कंज्युमर मृदमेंट शास्त्र किया या ।

मान्यवर, मै इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही राजीव जी ने एक नेशनल कंज्युसर फ्रन्ट बनाया था

जब वे कांग्रेस के भी सदस्य थे. नेशन*ल* कंज्युमर फ़ंट बनाया था और उसी भावना को बाद में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट में जाहिर किया गया । तो निश्चित रूप से बड़ी ब्राशाबों और ब्रपंकाबों के साथ वह कंज्य-मर मुवर्मेट को उन्होंने चलाया था और 1986 में हम लोगो ने इस संसद में बैठकर. राज्य सभा में बैठकर दिसम्बर, 1986 में ऐक्ट बनायाथा। वह ब्राणाएं धमिल न हो इसलिए मंदी जी इन सुझावों पर गीर करें।

महोटय, 1 जुलाई, 1987 को यह ऐंक्ट लग् हुग्रा। में मंत्री जी जानना चाहता हूं कि कितने डिस्ट्क्ट फोरम्स बने ग्रीर मेरे प्रदेश में कितने डिस्टिक्ट फ़ोरम्स बने, उनके पास कितने कैसेक ग्राए, कितनों का उन्होने निपटारा किया 🤔

इसके साथ ही 31 मार्च, 1991 तक टोटल जो केसेज मिले वह 51854 हैं ग्रीर इन फोरम्स ने निपटारा किया 23834 का । तो निष्टित रूप से कोरम्स के माध्यम से केसेज का जो निपटारा किया जाना या उसकी गति बहुत धीमी है। उस गृति को न बढांधा गया तो इस बिला को लाने का कोई उद्देश्य है वरना इस बिल को हमने **पास कर दिया ग्रौर यह ठीक ग्रन्थ** बिलो की तरह पास हो जाए तो उससे परिणाम नहीं निकल पाएँगे जिनकी अपेक्षा उपभोक्ताहमसे कर रहा है।

निश्चित रूप से उपभोक्तायों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, उप-भोवतात्रो की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए यह जो बिल लाया गया है यह बहुत उपयोगी है लिकिन इसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब इसमें जो कमियां, रह गई हैं और जो रिकस्ट्स दैने में व्यवधान पैदा करते हैं, बाधाएं डालते है **उनको दूर कर पार्थेगै । ऐसा मेरा** विश्वास है। धन्यवाद ।

SHRI DINESHBHA1 TRIVEDI (Gujarat): I just have a point and that eould be termed as point of order.

would like to know whether the scope of the debate is the entire Bill or the document which just says: amendment of that Bill. I quote: (1) "Amendment of Section 14": (2) "Insertion of new section 18A, 29A, Validation of certain orders etc." So, are we limting our scope to only this or it is open to the principal Bill as well? Through you I would like to get this clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKER DAYAL SINGH): You are a very wise Member of the House. You know your limitations. When your turn comes, you say you would like to say.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, I did not get the clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I have already told you at the time of your speech you can raise your points and the Minister has to explain to you all these things. At that time you have got every liberty to say your things.

Just now I have to make a special announcement I have received information from the Rajya Sabha Secretariat that Minister of Water Resources wants to make a statement regarding casualties caused from excessive floods in Maharashtra and Orissa. I have already allowed him for this, but... (Merruptions)

SHRI RAM AWADHESH SINGH: What about the statement by the Home Minister?

DR. RATNAKAR PANDEY: Not a single Maharashtra MP is present here.

श्री राम श्रवधेश सिंह : हम लोग कोयला मिनिस्टर का स्टेटर्सेट सुनना चाहने हैं जो होने वाला है । (व्यवधान)

उपसमाष्ट्रक (श्री शंकर दयाल सिंह): आप बैठिये । मैं उसी को बता रहा हैं। जो हमारे पान कार्यसची है उनके अनुसार 6 बजे श्री पी ए० संगमा मिनिस्टर आफ स्टेट आफ कोल को अपना स्टेटमेंट देना है। उनके स्टेटमेंट के बाद जल संसाधन मंत्री अपना स्टेटमेंट देंगे लेकिन जल संसाधन मंत्री के बक्तय के ऊपर क्लेरिफिकेशंस कल शाम को 6 बज कोगी।

Discussion not Concld.

He has to only make the statement here. For clarifications we have fixed the time tomorrow at 6. P.M.

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) मुझं एक निवेदन करना है कि यदि स्पष्टीकरण कल होना हैं तो मुझे अपना वक्त-ध्य अभी दे देने दी किए और उसके बाद कोयला मंत्री अपना वक्त-ध्य दे दें और उस पर स्पष्टीकरण अभी हो काये और मैं कल दे दूंगा ! आपकी अज्ञा के अनुसार मैं अभी अपना वक्तस्य पक्षना चाहता हं।

उपसभाष्यक (श्री संकर दयाल सिंह)ः इसमें कोई श्रापत्ति नहीं है ... (व्यवधानः) जैसा श्रभी माननीय रन्नाकर जी ने कहा है और दूसरे सदस्यों ने कहा है ...

श्री अनस्तराय देवशंकर दवे: यह जो श्रभी कंज्यूमर पोटेक्शन के बारे में बिल चल रहा है वह श्राफ ही होगा या कल होगा ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह)
प्रभी इसका फैसला जल संसाधन मंत्री
के वक्तव्य प्रौर कोयला मंत्री के वक्तव्य
तथा उसके क्लेरिफिकेशंस के बाद ही
हो पाएगा कि श्राफ करना है या कल ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): जहां तक माननीय सदस्य रस्ताकर शण्डेय जी और दूसरे लोगों ने कहा है, सबेरे जिन लोगों ने मंत्री महोदय से दक्तव्य की मांग की थी उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वे सदस्य सदन में नहीं हैं। इसलिए कल णाम को 6 बजे क्लेरिफिकेणंस के लिए समय सिर्धारित किया गया है।

Now, I will request the Minister for Water Resources to make the \*tateemnt.

भी **इंश दल यादव**ः उपसभः च्यक्त जी, पहिन्द श्रोफ ग्राहर है। अपकी कृपा है कि अपने स्पष्टीकरण के लिए केल जाम को 6 बजे का समय निर्धारित किया है। मेरी जो मल श्रापत्ति है वह यह है कि संबी लोगी का इस हरह का विवेक स कार्यकाही श्र-एको नहीं है। इस समय 🤅 बज रहे हैं। छ बजे घोषणा कर रहे हैं कि कल संसाधन मंत्री इस तरह का कोई वक्तभ्य देंगे । इस समय हाऊम से सब लोग का चुके हैं। इसी तरह का कोई स्टेंटमेंट पहले भी रहा ग्रेरा श्रापसे श्रदुरोध है कि श्राप सरकार को यह निर्देश दें कि जो मंत्री महोदय कोई स्टेंटमेंट देना चाहते है तो दो घटे, तीन घन्टे या कुछ संमय पहले इस तरह का कोई एजेन्डा या कार्यक्रम ग्रा जाय ताकि उसकी तैयारी की जा सके और लोग उपस्थित रहकार स्पष्टीकरण कर सकें।

Statutory Resolution Seeking disapproval

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): I want to suggest that those Members who give their names until tomorrow 6 o'clock, they all should be allowed to seek clarifications.

भी सरेग्राजीत सिंह भ्रहल्वालियाः श्रीमान, हमारे सदन का एक नियम है, एक परम्थरा है । लोक सभा मैं किसी वक्त स्टेटमेंट दिया जा सकता है, किन्तु राज्य सभा में चिक क्लेरिफिकेशंस पुरु जाते हैं. इसलिए यहां दो घंटे पहले सेकेटरिएट को नोटिस देना होता है और वह नोटिस सरक्लेट होता हैं। उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट होता है। अगर बिभा नोटिस के कोई मंत्री स्टेटमेंट देना चाहे तो वह अनुचित है 🖟 दूसरी बात यह है कि इस हाऊस की चेयर की रूलिंग हैं कि जब स्टेटमेंट इस हो जाय तो उसके बाद कोई क्लेरिफिकेशंस के .लिए नाम देगा तो उसको एन्ट<sup>7</sup>टेन नहीं किया जाएगा : क्या ग्राप उस रूलिंग को चेन्ज करने जा रहे हैं ?

उपसभाष्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) ः म दोनों बातों का एक शाथ उत्तर दे दं। माननीय सदस्य श्री ईश दत्त यादव जी ने धौर श्री ग्रहलुबालिया जी ने कुछ। सवाल उठाये हैं। सचिवालय के पास कुछ देर पहले माननीय ऊल संसाधन मंत्री जी का यह पत्न आया।

थी पुरेन्द्रजीत सिंह श्रहलुवालिया : किनने बजे आया था र

उपसभाष्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : करीब 5 बजे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहतुवालिया : पांच बजे उसको वया एनाउन्स नही किया गया ?

उत्सभाष्यक्ष (श्री एंकर दयाल सिंह) ठीक है, ब्राप बैठिये, पहले मेरी बात सुनिय 5 पांच बजे श्राया और वे इस बात के लिए तैंशर ये कि हम साहे 5 बजे इस पन मैं लिखा था कि हम **स्टेटमेंट दे**ना चाहते हैं । लोक सभा मैं मंत्री महोदय का स्टटमेंट इस संबंध मैं हो चुका था। मैं चहिता हूं कि राज्य सभा में शाज हो जाय और कल लोग क्लेरिफिकेशंस के लिए नाम दें तो सुविधा होगी । ग्रापने पूछा है इसलिए विशेषतः इस स्टेटमेंट के लिए में यह कह देता ह कि जो सदस्य कल नाम देंगे उनके नाम मी कल के क्लोरिफिकेश स के लिए शामिल हो जायें।

श्री रजनी रंजन शाह (बिहार): स्टेटमें न के बाद नाम नही दिय जाते हैं. स्टेटमें हे के पहले विशे ज ते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) केवल इसके लिए मेंने कहा है कि कल के सकते हैं। अभो के लिए यह कंडेंशन होगा।

थी सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : ग्राप एक नई धरम्परा की मुख्यात कर रहे है : मदन में कोई स्टेटरोंन देना हो तो दो घंटे पहले नोटिस देना होता है . . . (व्यवधान)

श्री ग्रनन्तराय देवशंकर इवे : मेग पाइन्ट आफ आर्डर है। आपने स्टेटमोंट के लिए अपनी रूलिंग दे दी है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है।

उपसभाष्यक (श्री शंकर दयाल सिंह) : मानतीय सदस्य का कहना ठीक है। श्रहल्वालिया जी, श्राप बैठ जाइये । श्री सरेन्द्रजीत सिंह अहलवालिया : यह सदन की परम्परा का सवाल है। ... (व्यवधान)

उपसभाष्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ब्रहलवालिया जी, ब्राप बिना मेरे ब्रादेश के बोल रहे हैं, इसलिए यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

श्री सुरेन्ट्जीत सिंह ग्रहलुवालिया:\*  $6.00 \, \text{PM}$ 

उपसभाष्यक (श्री शंकर दयाल सिंह) : चेत्रपर ने क्या कहा ग्राप इस पर नहीं जाएं। मैंने यह इस स्टेटमेंट के लिए दिया है चंकि यह जरुरी है। मैं जल संसाधन मंत्री जी से कहंगा कि वह अपना स्टेटमेंट दें।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): जो ग्रहलुवालिया जी ने उठाया है, वह रूल में है या नहीं है ?

4 उपसमाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मैंने इसके पहले अपनी हिलग दे दी है। (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: ग्राप यह आदेश करें कि कम से कम दो घंटे पहले यह एजेंडा पर श्रा आएं कि फलां मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं।

उपसमाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : यादव जी. ऋषने जो सङ्गाव दिया है उसके अनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी। (व्यवधान)

श्री शब्बीर ग्रहमद सलारिया: .यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कर सकती हैं. ग्राप कैसे नया इमकान करेंगे ?

(उपसभाष्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जल संसाधन मंत्री ।

#### STATEMENT(s) BY MINISTERY)

#### I. Casualties from excessive Floods in Wardha River in Maharashtra and in Upper Indravathi river in Orissa

by Minister(s)

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, According to the reports received from the Government of Maharashtra, there were excessive rains in the catchment of the Wardha river falling in the districts of Betul and Chindwara in Madhya Pradesh and also heavy rains in Nagpur and Wardha districts of Maharashtra. The rainfall in Betul was 400 mm in 24 hours upto the morning of 30th July, 1991. The rainfall in the Narkheda tehsil of Nagpur district was 350 mm in the 24 hours. This resulted in excessive floods in the Wardha river on the night of 29th July, 1991. The flood waters entered the town of Moharl situated on the banks of Wardha rver near the confluence of ite tributary, Kolar. The village protection embankment constructed for the village along the banks of the Wardha River gave way and flood waters rushed into the village by 4.30 early in the morning on 30th July, 1991.

Because of the excessive rains in the region the road communication has been distrupted. Establishing immediate contacts with the villages bas become difficult. The preliminary reports received from Mohad and other 4 effected villages of the Narkheda tehsil of District Nagpur (namely. Talalkheda, Khairgaon, Bhugaon and Madanal indicate the number of missing or dead persons to he about 119 in Nagpur district. In addition, in Amaravatf District, 2 persons are reported to be missing or dead from the 22 villages which have been affected by the floods. About 5000 houses are reported to liave collapsed by the impact of the floods!'and about 750 cattle are also reported to have been washed away.

There have been some reports in the press that the Tank at Nakthau on the

<sup>\*</sup>Not recorded.